

न्यायालय:-सीताराम दास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवास,
जिला मण्डला(म.प्र.)

समरी प्रकरण कंमाक- 340/2022
फाईलिंग नम्बर- 1041/2022
सी0एन0आर0कंमाक- एम.पी.-5105-001254-2022

म.प्र. राज्य द्वारा आबकारी वृत्त नारायणगंज,
जिला-मण्डला (म.प्र.)

.....अभियोजन

विरुद्ध

मूल सिंह परस्ते पिता पंचू सिंह परस्ते उम्र 55 वर्ष, जाति
गौड़ निवासी ग्राम बबलिया, थाना निवास, जिला मण्डला
(म.प्र.)

.....अभियुक्त

--: निर्णय :-

(आज दिनांक- 13.10.2022 को पारित)

01. प्रकरण में अभियुक्त मूल सिंह परस्ते के स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा-34(1) आबकारी अधिनियम के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये। अभियुक्त को परिविक्षा अधिनियम में दिए गए प्रावधानों को लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त मूल सिंह परस्ते को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं राशि- 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा न करने के व्यतिक्रम पर पृथक से दस दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

03. प्रकरण में जप्तशुदा शराब एवं सामग्री विधिवत् नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मुद्रांकित
व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सीताराम दास
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
निवास जिला- मण्डला म.प्र.

सीताराम दास
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
निवास जिला- मण्डला म.प्र.

**SUMMARY TRAIL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE**
**IN THE COURT OF --सीताराम दास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास,
जिला मण्डला म0प्र0**

Case No- 340/2022

Complaint or report made on-.....

Name and address of the Complainant - म.प्र.राज्य द्वारा आबकारी वृत्त नारायणगंज
जिला मण्डला (म.प्र.)
विरुद्ध
मूल सिंह परस्ते

Name, Parentage Caste and address of accused

अभियुक्त का नाम— मूल सिंह परस्ते पिता पंचू सिंह परस्ते उम्र 55 वर्ष, जाति गौड़ निवासी
ग्राम बबलिया, थाना निवास, जिला मण्डला(म.प्र.)

The offence complained of, and date of, its alleged commission

01— अभियुक्त के विरुद्ध धारा-34(1) आबकारी अधिनियम, 1915 का आरोप है,
कि घटना दिनांक— 11.09.2022 को समय 13:20 बजे अंतर्गत बबलिया निवास रोड़ में अपने
आधिपत्य में 05 लीटर महुआ देशी शराब बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखा पाया
गया।

क्या तुम्हें जुर्म स्वीकार है, या विचारण चाहते हो?

अभियुक्त का अभिवाक्:-

सीताराम दास
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
निवास, जिला-मण्डला म0प्र0

सीताराम दास
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
निवास, जिला-मण्डला म0प्र0

